नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
विजयपुर–473111, गुना (म.प्र.)
(आईएसओ–9001, 14001 एवं ओएचएसएएस 18001 इकाई)

A Navratna Company

निविदा आमंत्रण सूचना

एनएफएल विजयपुर में द्वि–बोली पद्धति के तहत जेम पर GeM Bid: GEM/2026/B/8088252 , ''वार्षिक दर अनुबंध पर 2026–27 के लिए विविध यांत्रिकी कार्य'' हेतु निविदा आमंत्रित करता है. निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम दिनांक 26.10.2026, 18.00PM है। अधिक जानकारी व निविदा दस्तावेजों को डाउनलोड करने हेतु वेबसाईट http://gem.gov.in, http://nationalfertilizers.com पर उपलब्ध है. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया ई मेल skrai@nfl.co.in, Mob.9463834587 पर सूचित करें। कोई भी निविदा संशोधन/आशोधन केवल उक्त वेबसाईटों पर ही प्रदर्शित किये जायेंगे. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइटों पर जाएँ।

सार्वजनिक सूचना

(दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता बोर्ड संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

श्री सुभाष डबास (मेसर्स तिरुपति इन्फ्राप्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) के के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

प्रमाणिक विवरण

1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम और पता	**श्री सुभाष डबास** **पता:** बी–59, विनोभा कुंज, सेक्टर–9, रोहिणी, दिल्ली–110085 **और:** वेलकम होटल, द्वारका, प्लॉट नं. 03, सेक्टर 10, द्वारका, दिल्ली–110075 **और:** ई–3/3, वसंत विहार–1, दक्षिण पश्चिम दिल्ली–110057 **और:** प्लॉट नं. 81, रोड नं. 42, क्लास सी, दिल्ली–110085
2.	दिवाला प्रारंभ होने की तारीख	12 अक्टूबर, 2026
3.	आवेदन स्वीकार करने वाले आदेश का विवरण	माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली, प्रधान पीठ द्वारा सीपी आईबी संख्या 85/एनसी/2026/आई.ए. सं. 1274/2026 में पारित दिनांक 12 अक्टूबर, 2026 का आदेश
4.	समाधान पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्रीमती अंजू अग्रवाल आईपीबीआई रजि. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00106/2017-2018/10213 एएफए वैधता 30 जून, 2027 तक
5.	बोर्ड के साथ पंजीकृत समाधान पेशेवर का पता और ई–मेल	पता: 73, नेशनल पार्क, लाजपत नगर IV, नई दिल्ली–110024 ईमेल: anju@insolvencyservices.in
6.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार/दावे प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	पता: सी–100, सेक्टर–2, नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश) ईमेल: anjuagarwal.pg@ibcprocess.in
7.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	4 नवंबर, 2026
8.	प्रासंगिक प्रपत्र यहां उपलब्ध हैं:	वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने दिनांक 12.10.2026 को श्री सुभाष डबास, निवासी बी–59, विनोभा कुंज, सेक्टर–9, रोहिणी, दिल्ली–110085 और वेलकम होटल, द्वारका प्लॉट नंबर 03, सेक्टर 10, द्वारका, दिल्ली–110075 (मेसर्स तिरुपति इन्फ्राप्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड हेतु व्यक्तिगत गारंटर) के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश पारित किया है।

श्री सुभाष डबास के लेनदारों को एतद्वारा अपने दावों को प्रमाण सहित दिनांक 04 नवंबर, 2026 को या उससे पूर्व, प्रविष्टि संख्या 6 के सामने उल्लिखित ई–मेल पते पर समाधान पेशेवर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

लेनदारों को अपने दावे सबूत, दावों के विवरण, व्यक्तिगत जानकारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने होंगे।

दावों के झूठे या गुमराह करने वाले सबूत जमा करने पर जुर्माना लगेगा।

हस्ता/–
श्रीमती अंजू अग्रवाल
समाधान पेशेवर
आईपीबीआई रजि. सं. **IBBI/IPA-001/IP-P00106/2017-2018/10213**
IBBI रजि. पता: 73, राष्ट्रीय उद्यान, लाजपत नगर IV, नई दिल्ली–110024
एएफए वैधता: 30 जून 27 तक
ईमेल आईडी: anju@insolvencyservices.in

दिनांक: 14.10.2026
स्थान: नई दिल्ली

HDFC BANK

We understand your world

पंजीकृत कार्यालय: एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई - 400013 और जिसका एक कार्यालय: रिटेल पोर्टफोलियो प्रबंधन, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, पहली मंजिल, ।–थिंक टैक्नो कैंपस, कांजुरमार्ग (पूर्व), मुंबई - 400042

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को बंधक रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना और सार्वजनिक सूचना

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ("बैंक") के नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण/ओवरड्राफ्ट की रूप में क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक को बंधक रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री के संबंध में सूचित किया जाता है।

सहमत ऋण/सुविधा शर्तों के अनुसार बकाया देय राशि का पुनर्भुगतान करने में उधारकर्ताओं द्वारा लगातार चूक के कारण, नीचे दिए गए ऋण खाती को एनपीए (गैर–निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने इन उधारकर्ताओं को ऋण रिकॉल नोटिस जारी किया है, जिसमें नीचे उल्लिखित तिथि पर अंतिम बिक्री नोटिस भी शामिल है, जिसके तहत, बैंक ने प्रतिज्ञा का आह्वान किया था और उधारकर्ता को उपरोक्त खातों में संपूर्ण बकाया राशि चुकाने के लिए 7 दिनों का समय प्रदान किया था, ऐसा न करने पर, बैंक इस संबंध में आगे नोटिस जारी किए बिना गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा

उधारकर्ताओं ने देय पुनर्भुगतान करने में उपेक्षा की है और असफल रहे हैं, इसलिए, बैंक ने ऋण समझौते के तहत एक गिरवीदार के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं द्वारा बैंक को देय बकाया राशि की वसूली के लिए **22 अक्टूबर 2026** को या उसके बाद प्रतिभूतियों को बेचने/निपटान करने का निर्णय लिया है। उधारकर्ताओं को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 176 के अनुपालन में इसे बिक्री की सूचना के रूप में मानने के लिए अधिसूचित किया जाता है। उधारकर्ताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, यदि किसी भी समय, गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्य शेयर बाजार में अस्थिरता के कारण और गिर जाता है जिससे मार्जिन आवश्यकता में और कमी आती है तो बैंक अपने विवेक पर एक (1) कैलेंडर दिवस के भीतर गिरवी रखी गई प्रतिभूति को इस संबंध में कोई और सूचना दिए बिना बेच देगा। उधारकर्ता गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय के समायोजन के बाद, शेष बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए बैंक के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता नं.	कर्जदार का नाम	दिनांक 11.10.2026 तक बकाया राशि	बिक्री सूचना की तिथि
1	XXXXXXXXXX0551	धर्मवीर सिंह जैन	7,148.42	12-10-2026
2	XXXXXXXXXX2074	विजय भार्गव	4,812.89	12-10-2026
3	XXXXXXXXXX6529	साईबाबा चुतुकुरी	19,95,967.06	12-10-2026
4	XXXXXXXXXX0400	विनी सी अग्रवाल	56,57,615.44	12-10-2026
5	XXXXXXXXXX7913	सुमित सूद	6,089.88	12-10-2026
6	XXXXXXXXXX8801	निशांत गुप्ता	69,676.00	12-10-2026
7	XXXXXXXXXX3745	कमलेश कुमार सिंह	13,96,657.00	12-10-2026
8	XXXXXXXXXX2165	मोहित भाटिया	4,73,567.27	12-10-2026
9	XXXXXXXXXX7152	घोष एंड एसोसिएट्स एलएलपी	2,94,35,548.50	12-10-2026
10	XXXXXXXXXX2458	कमलेश गर्ग	2,567.60	12-10-2026
11	XXXXXXXXXX2484	अमृत रानी	4,213.90	12-10-2026
12	XXXXXXXXXX2282	विश्व नाथ पाठक	1,60,339.68	12-10-2026
13	XXXXXXXXXX0436	जय कांत जिंदल	83,965.93	12-10-2026
14	XXXXXXXXXX5021	प्रियंका चक्रवर्ती	6,32,334.44	12-10-2026
15	XXXXXXXXXX1232	दीपक कुमार	9,89,226.30	12-10-2026
16	XXXXXXXXXX2180	विशाल रघवेवा	4,38,197.05	12-10-2026
17	XXXXXXXXXX7579	अनूप कुमार बठेजा	9,40,197.76	12-10-2026
18	XXXXXXXXXX5738	सुषमा शर्मा	3,504.20	12-10-2026
19	XXXXXXXXXX8815	अपर्णा शर्मा	7,45,341.57	12-10-2026
20	XXXXXXXXXX2354	वेनिश अहलूवालिया	1,49,603.59	12-10-2026
21	XXXXXXXXXX6898	रूबी बसु	217.02	12-10-2026
22	XXXXXXXXXX2275	राजीव वर्मा	9,96,222.32	12-10-2026
23	XXXXXXXXXX1582	करमवीर वत्स	8,95,778.67	12-10-2026
24	XXXXXXXXXX5647	रूपा गुप्ता	25,040.82	12-10-2026
25	XXXXXXXXXX9034	दिव्या चौपड़ा गिरधर	1,17,119.00	12-10-2026
26	XXXXXXXXXX6250	रमन कुमार	9,34,417.18	12-10-2026
27	XXXXXXXXXX1219	रुचित भांगर	6,00,100.02	12-10-2026
28	XXXXXXXXXX8611	मुकेश अग्रवाल	9,96,565.28	12-10-2026
29	XXXXXXXXXX1590	पुलकित जैन	2,130.00	12-10-2026
30	XXXXXXXXXX7994	पुनित कुमार	15,36,719.82	12-10-2026
31	XXXXXXXXXX6315	सुदीप्त बनिक	2,05,716.17	12-10-2026
32	XXXXXXXXXX5692	राजीव गुप्ता	7,93,126.00	12-10-2026
33	XXXXXXXXXX8031	शांता देवी	16,77,871.42	12-10-2026
34	XXXXXXXXXX1193	पूनम झाब	2,74,771.00	12-10-2026
35	XXXXXXXXXX5540	नवीन सोमानी	4,949.29	12-10-2026
36	XXXXXXXXXX2691	माला मिश्रा	2,86,566.18	12-10-2026
37	XXXXXXXXXX8083	गीता उप्पल	9,94,639.84	12-10-2026
38	XXXXXXXXXX9218	कृष्ण अरोड़ा	7,35,405.00	12-10-2026
39	XXXXXXXXXX2263	सतविंदर खुराना	3,48,763.20	12-10-2026
40	XXXXXXXXXX3851	भूपिंदर सिंह	1,01,200.29	12-10-2026
41	XXXXXXXXXX2591	रंजना जाया पत्नी विजय जाया	1,882.65	12-10-2026
42	XXXXXXXXXX2287	शालिनी मेहता	8,58,167.52	12-10-2026
43	XXXXXXXXXX3525	प्रियंवदा चौधरी	8,83,193.00	12-10-2026
44	XXXXXXXXXX3614	प्रियंवदा चौधरी	3,41,686.00	12-10-2026
45	XXXXXXXXXX3188	अमन गोयल	82,223.00	12-10-2026
46	XXXXXXXXXX9106	अंजू सिंह	3,787.84	12-10-2026
47	XXXXXXXXXX2600	सौरभ कुमार	5,319.23	12-10-2026
48	XXXXXXXXXX0141	लक्ष्य गोयल	4,537.45	12-10-2026
49	XXXXXXXXXX6281	संगीता लाबा	2,276.87	12-10-2026
50	XXXXXXXXXX9228	बालकिशन	1,93,308.00	12-10-2026
51	XXXXXXXXXX6938	वरुण मिश्रा	3,31,458.29	12-10-2026
52	XXXXXXXXXX0854	शिवाजी भंभानी	1,907.23	12-10-2026
53	XXXXXXXXXX3075	कविता मेहरा सहगल	8,92,861.08	12-10-2026
54	XXXXXXXXXX8263	सरोज सहगल	9,83,751.30	12-10-2026
55	XXXXXXXXXX4021	उत्कर्ष अग्रवाल	17,53,899.00	12-10-2026
56	XXXXXXXXXX8982	हरबिंदर सिंह	487.42	12-10-2026
57	XXXXXXXXXX1578	संजू बाला	1,90,372.62	12-10-2026
58	XXXXXXXXXX8421	पुनीत वशिष्ठ	86,172.54	12-10-2026
59	XXXXXXXXXX7967	नितिन अग्रवाल	9,91,291.74	12-10-2026
60	XXXXXXXXXX7463	आईएनए पुरी	1,930.60	12-10-2026
61	XXXXXXXXXX0136	वीएम वेंचर्स एलएलपी	4,53,13,691.00	12-10-2026
62	XXXXXXXXXX6277	नरेंद्र कुमार	4,55,815.00	12-10-2026
63	XXXXXXXXXX9020	अरमान बाली	9,13,503.00	12-10-2026
64	XXXXXXXXXX8317	प्रवीण कुमार सैनी	1,30,936.83	12-10-2026
65	XXXXXXXXXX0991	मनीष भारद्वाज	15,01,925.00	12-10-2026
66	XXXXXXXXXX8463	मकरंद पांडुरंग खेतमालिस	10,59,680.95	12-10-2026
67	XXXXXXXXXX6484	शारदा अर्जुन मेहता	9,26,052.82	12-10-2026
68	XXXXXXXXXX9174	विकास रंजन दास	60,487.82	12-10-2026
69	XXXXXXXXXX2084	अमृत माथुर	214.40	12-10-2026
70	XXXXXXXXXX7061	प्रदीप कुमार गुप्ता	8,37,059.82	12-10-2026
71	XXXXXXXXXX4088	नेहा कौशिक	8,05,751.82	12-10-2026
72	XXXXXXXXXX4190	दर्शन खरबंदा	10,08,745.00	12-10-2026
73	XXXXXXXXXX1242	सिमरन जेडन	1,02,811.82	12-10-2026
74	XXXXXXXXXX3890	यशवंती देवी	19,09,749.74	12-10-2026

दिनांक: 14.10.2026, स्थान: दिल्ली+हरियाणा
हस्ता/– एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं, जो वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ("उक्त अधिनियम") के अंतर्गत आर्सिल – ट्रस्ट–2026–015 ("आर्सिल") के न्यासी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहे हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("उक्त नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित करते हुए, एक मांग सूचना जारी की है, जिसमें ऋणधारक, गारंटरों तथा बंधककर्ताओं को उस राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है :

ऋणधारक/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा उक्त राशियों का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उसे/उन्हें प्रद शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित करते हुए, नीचे उल्लिखित तिथि पर "जैसी है जहाँ है और जैसी है जैसी स्थिति है के आधार पर" अंतर्निहित अचल संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

ऋणधारक तथा गारंटरों का नाम	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
श्री अशोक कुमार, श्री सतीश कुमार, श्रीमती संतोष संतोष (प्रॉस्पेक्ट नं. 804060, 937963)	13/01/2026 नं. 804060 की राशि रु. 1323744.43 (तेरह लाख तेईस हजार सात सौ चवालीस रुपये और तैंतालीस पैसे मात्र) तथा नं. 937963 की राशि रु. 880858.63 (आठ लाख अस्सी हजार आठ सौ अट्ठावन रुपये और तिरेसठ पैसे मात्र)।	**खसरा संख्या 50/8/1 (6–1) का वह संपूर्ण भाग तथा अंश, खेवट संख्या 155, ग्राम बल्लगढ़, फरीदाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत 121001, क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) : संपत्ति का प्रकार : भूमि का क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल : 1620**	09–10–2026

ऋणधारक/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आर्सिल उपर्युक्त अचल संपत्ति के वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के अंतर्गत, ऋणधारक/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद, आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से अचल संपत्ति का अंतरण या उसके साथ अन्य कोई व्यवहार/निस्तारण नहीं करेगा, तथा अचल संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार उपरोक्त राशि के लिए आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा, जिसके साथ उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज तथा प्रासंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि भी शामिल होंगे।

ऋणधारकों/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान उपर्युक्त अचल संपत्ति के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान : दिल्ली
तिथि : 14–10–2026

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. (न्यासी के रूप में क्षमता में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. सीआईएन नं. – U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट : www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय : द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, दूरभाष : +91 2266581300

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बी–17, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई– 400070

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अधीन

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत यूग्रो कैपिटल लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी करता हूं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया है। अधोहस्ताक्षरी का मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार मांग नोटिस को चिपकाकर और प्रकाशित करके तामील किया जा रहा है। मांग नोटिस की सामग्री इस प्रकार है:

क्र.सं.	कर्जदार का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि
1	**1) मैसर्स जयसवाल सीमेंट स्टोर 2) प्रदीप कुमार जयसवाल, 3) डाली जयसवाल, 4) राम आँटो, 5) मैसर्स लकी सीमेंट स्टोर लैन – UGBTISS0000097191**	**मांग सूचना तिथि 11.09.2026** रु. 90,80,624.00 (रु. नब्बे लाख अस्सी हजार छह सौ चौबीस मात्र) दि 11.09.2026 तक

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: प्लॉट क्षेत्रफल 193.68 वर्ग मीटर जो खसरा नंबर 411 केए के अंतर्गत इसमें 99.91 वर्ग मीटर में बना हुआ मकान और 93.47 वर्ग मीटर खाली भूमि शामिल है, गाँव– ओडवारा, टप्पा– हवेली, परगना– बस्ती पूरब, तहसील और जिला– बस्ती सीमाएँ: पूर्व: संपर्क मार्ग, पश्चिम: विक्रेता की खाली भूमि, उत्तर: स्कूल के साथ में गली, दक्षिण: विक्रेता का मकान

उधारकर्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि वे मांग सूचना का पालन करें और इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर, लागू ब्याज, विलंब मुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत और खर्च सहित, मांग राशि का मुगतान करें। उधारकर्ता यह ध्यान रख सकते हैं कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के साथ उधारकर्ता द्वारा बंधक रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो उग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करना शामिल है, लेकिन यह बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि की वसूली तक सीमित नहीं है। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति को संलग्न और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित संपत्ति का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपचार यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी अन्य उपचारों के अतिरिक्त और उनसे स्वतंत्र है। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित संपत्ति को वापस छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, उधारकर्ता को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बेचने, पट्टे (लीज) पर देने या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) से प्रतिबंधित/वर्जित किया जाता है। उपरोक्त का पालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और यदि ऋणकर्ता चाहें, तो वे इसे अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : उत्तर प्रदेश
दिनांक : 14.10.2026

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
कृते यूग्रो कैपिटल लिमिटेड, authorised.officer@ugrocapital.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

Bank of Baroda
India's International Bank

119 Foundation Year

प्लाट नं. 5, सं. 1, सावित्री प्लाजा, आई. पी. एक्सटेंशन, एल. एस. सी.–2, पटपड़गंज, दिल्ली–110092, ईमेल : vjpatp@bankofbaroda.com दूरभाष : 011-22781554, 22785881

ऋणधारक को सूचना

(सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत)

तिथि : 18–09–2026

प्रति,
श्रीमती पूनम अरोड़ा तथा अरविंद अरोड़ा, पता : फ्लैट नं. टी–804, आठवीं मंजिल, टाइप बी, टावर ब्लॉक, प्लाट नं. जी.एच.–03, वसुंधरा वैली अपार्टमेंट, सेक्टर–6, वसुंधरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)–201012

प्रति,
श्रीमती पूनम अरोड़ा तथा अरविंद अरोड़ा, पता : ई–44, लाजपत नगर–।।।, नई दिल्ली–110024

श्रीमान,

विषय : हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा सावित्री प्लाजा, पटपड़गंज शाखा के साथ क्रेडिट सुविधाएं।

1. हम अपने स्वीकृति पत्र तिथि 26–06–2004 का संदर्भ देते हैं जिसके माध्यम से विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं की स्वीकृति तथा स्वीकृति की शर्तों के बारे में सूचित किया गया था। उक्त स्वीकृति के अनुसरण में, आपने इसके लिए प्रतिभूति प्रदान करने के पश्चात क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया है तथा उनका उपयोग प्रारंभ किया है, जैसा कि इसके पश्चात उल्लेख किया गया है। विभिन्न ऋण/क्रेडिट सुविधा खातों में वर्तमान बकाया तथा ऐसे दायित्व के लिए सृजित प्रतिभूति हित निम्नानुसार हैं :

सुविधा की प्रकृति तथा प्रकार सावधि ऋण	सीमा	ब्याज की दर	17.09.2026 के अनुसार बकाया (31–08–2026 से अप्रभारित ब्याज सहित)	प्रतिभूतियों के संक्षिप्त विवरण के साथ प्रतिभूति समझौता
76770600000119	रु. 6.00 लाख (रुपये छह लाख मात्र)	8.50% (उल्लेख करें कि क्या वर्तमान में अथवा स्वीकृति के अनुसार है)	रु. 2,17,190.88 (रुपये दो लाख सत्रह हजार एक सौ नब्बे और अट्ठासी पैसे मात्र) (27–08–2021 तक के ब्याज सहित) तथा 31–08–2026 तक का अप्रयुक्त ब्याज रु. 51847.71 एवं एनपीए की तिथि से वसूली की तिथि तक के अन्य प्रभार, लागत तथा ब्याज।	संपत्ति का न्यायसंगत बंधक (म्फड) : फ्लैट नं. टी–804, आवृत्त क्षेत्र 139.16 वर्ग मीटर, आठवीं मंजिल, टाइप बी, टावर ब्लॉक, प्लाट नं. जी.एच.–3, सेक्टर 6, वसुंधरा, गाजियाबाद, उ.प्र., जो कि श्रीमती पूनम अरोड़ा पत्नी श्री अरविंद अरोड़ा के नाम पर है। सीमाएँ :– उत्तर पूर्व : खुला क्षेत्र तथा सीढ़ी; दक्षिण पश्चिम : नीचे खुला स्थान; दक्षिण पूर्व : फ्लैट नं. 805; उत्तर पश्चिम : खुला स्थान।

2. ऋण स्वीकृति के पत्र तिथि——— में आपने तिथि ——— को रु. ——— की सीमा तक बैंक के प्रति अपने दायित्व को स्वीकार किया है।
3. जैसा कि आप जानते हैं, आपने जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त ऋणों/बकाया पर ब्याज के भुगतान में चूक की है। आपने सावधि ऋण/ओवरड्राफ्ट की किस्तों के भुगतान में भी चूक की है जो 27 अगस्त 2021 तथा उसके पश्चात भुगतान के लिए देय हुई थीं।
4. आपके द्वारा की गई चूकों के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार 27–08–2021 को आपके ऋण खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारे बार–बार अनुरोधों तथा माँगों के बाद भी आपने राशि पर ब्याज सहित अतिदेय ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं किया है।
   ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत प्रतिभूत क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करने में आपकी असमर्थता तथा आपके खाते के गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए, हम आपको वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत यह सूचना देते हैं तथा आपसे आह्वान करते हैं कि आप बैंक के कुल दायित्व रु. 2,17,190.88 (रुपये दो लाख सत्रह हजार एक सौ नब्बे और अट्ठासी पैसे मात्र) (27–08–2021 तक के ब्याज सहित) तथा 31–08–2026 तक का अप्रयुक्त ब्याज रु. 51847.71 एवं एनपीए की तिथि से वसूली की तिथि तक के अन्य प्रभारों, लागतों तथा ब्याज का पूर्ण रूप से भुगतान करें तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
5. जैसा कि ऊपर पैरा 1 में बताया गया है, इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। हम आपको आगे यह सूचना देते हैं कि भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित उपरोक्त राशि का भुगतान न करने पर, हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसे कृपया नोट करें।
6. कृपया नोट करें कि, पूर्ण भुगतान होने तक प्रत्येक क्रेडिट सुविधा के लिए ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज संचित होता रहेगा।
7. हम उक्त अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं जिसके अनुसार आप हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना, विक्रय, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम को छोड़कर) ऊपर पैरा 1 में संदर्भित किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित हैं। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) में निहित उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
8. हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करते हैं जिसके अनुसार यदि आपके द्वारा, बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों के साथ देय राशि का भुगतान सार्वजनिक नीलामी/निविदाएं आमंत्रित करने/कोटेशन/निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि से पहले किसी भी समय कर दिया जाता है, तो आप प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़ा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि ऊपर दिए गए अनुसार सूचना के प्रकाशन के पश्चात, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने का आपका अधिकार उपलब्ध नहीं रहेगा।
9. कृपया ध्यान दें कि यह मांग सूचना किसी भी अन्य अधिकार या उपचार के प्रतिकूल प्रभाव के बिना है तथा इसे हमारे अ